न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 3/2018 (उदयपुर डिक्की)

1. केसा पिता मेघा मीणा, निवासी बोर का पानी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
2. लोगर पिता मेघा मीणा, निवासी बोर का पानी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शारदा पत्नी अणदीलाल मीणा, निवासी देवलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती केशरी पत्नी कालिया मीणा, निवासी देवलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मोहनी पत्नी बगदीलाल मीणा, निवासी चितोडिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कंकुड़ी पिता उंकार मीणा पत्नी नाया मीणा, निवासी बोर का पानी हाल बरा, ग्राम पंचायत मालपुर, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती धुलकी पिता उंकार मीणा पत्नी नाया मीणा, निवासी बोर का पानी हाल पई तालाब, ग्राम पंचायत बनोड़, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लसाड़िया, जिला उदयपुर(राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री राजमल राव अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 2
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक
5– श्रीमती अंजना व्यास अभि.रे.सं. 4/1, 4/3, 4/4

———::———

(2) प्रकरण संख्या 8/2018 (उदयपुर डिक्की)

श्रीमती मोहनी पत्नी बगदीलाल मीणा, निवासी चितोडिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शारदा पत्नी अणदीलाल मीणा, निवासी देवलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती केशरी पत्नी कालिया मीणा, निवासी देवलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
3. केसा पिता मेघा मीणा, निवासी बोर का पानी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
4. लोगर पिता मेघा मीणा, निवासी बोर का पानी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कंकुड़ी पिता उंकार मीणा पत्नी नाया मीणा, निवासी बोर का पानी हाल बरा, ग्राम पंचायत मालपुर, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती धुलकी पिता उंकार मीणा पत्नी नाया मीणा, निवासी बोर का पानी हाल पई तालाब, ग्राम पंचायत बनोड़, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लसाड़िया, जिला उदयपुर(राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया
दिनांक 23.08.2017, प्र. सं. 8/2017

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 16–10–2018</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दिनांक 09–06–2017 को वादी/रेस्पोन्डेन्ट की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 01–08–2017 को उक्त वाद वादिया/रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन पर बाजदायरी कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुने बिना दिनांक 23–08–2017 को वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23–08–2017 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 केसा व लोगर द्वारा अपील संख्या 3/2018 इस न्यायालय में दिनांक 10–01–2018 को पेश की गयी। इसी प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध ही प्रतिवादी संख्या 1 मोहनी द्वारा दिनांक 17–01–2018 को अपील संख्या 8/2018 प्रस्तुत की गयी।

वस्तुतः दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 8/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 23–08–2017 के विरूद्ध अलग–अलग प्रस्तुत की गयी हैं, परन्तु दोनों ही प्रकरणों की विषय वस्तु, पक्षकारान समान होने व एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी को सूचित किये बिना दिनांक 01–08–2017 को वादिया/रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन पर वाद रेस्टोर कर लिया है, तद्नुसार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होना स्पष्ट है। तद्नुसार दोनों अपीलों में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दोनों अपीलों में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के प्रमुख उजर यह हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–06–2017 को वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने के बाद अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया। हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतएवं दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–08–2017 यथावत रखा जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–12–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

प्रतापसिंह पिता बसन्तीलाल भण्डारी, निवासी 29–ए, अलकापुरी, उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती ममता पत्नी रवीन्द्र अरोड़ा, निवासी 57 सिख कॉलोनी उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**292 / 2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**08**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**01**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दीपक शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03–08–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**01**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दामोदरलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, नि0 बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**162/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजमल राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **कन्हैयालाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**212/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।